न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या 01 / 18

सरकार प्रार्थी

बनाम्

कलावती बगैराह अप्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी –जय सिंह, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांक 8.01..2018

हस्तगत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बसेडी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, बाडी वसेडी मार्ग से भूतपुरा को जाने वाला रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं है रास्ता जो मोके पर चालू है मोके पर कोई विवाद व स्थगन आदि नही है ग्राम भूतपुरा की ओर जाने वाला रास्ताग्राम रामपुर की आराजी खसरा नम्वर 69 रकवा 028 है0 व खसरा नम्वर 105 रकवा 0.35 है0 जिसके खातेदार कलावती पत्नि जोहरी,जगनसिंह,रामवीर पुत्रगण जोहरी जाति कुशवाह निवासी रामपुर तथा आराजी खसरा नम्वर 104 रकवा 0.15 है0 जिसके खातेदार वुद्वो पत्नि करनसिंह,नत्थी,तरसी,भूरा पुत्रगण करनसिंह,गुडडी,नन्ना,सोमोती,पुत्रीयान करनसिंह,महादेवी पत्नि विजयसिंह,दिनेश राजू अशोक,सोनू नीतू पुत्रगण विजयसिंह, सरोज मीना पुत्रीयान विजयसिंह जाति कुशवाह निवासी रामपुर एवं खसरा नम्वर 68 रकवा 0.62 है0 के खातेदार रामवती पत्नि हरीसिंह,रामनरेश रामप्रकाश पुत्रान हरीसिुह,गुडडी, नन्ना, सोमोती,पुत्रीयान हरीसिंह,मोहनसिंह, रामसिंह, कमलसिंह, पि फोदी, रामवाई, पत्नि रोशनलाल, परिमाल, वनवारी, उदयवीर पुत्रान रोशनलाल रामनिवास, रामअबतार, पुत्रान अजमेरसिंह, रामवेटी पत्नि आनन्दीलाल श्यामसिंह पुत्र आनन्दीलाल गोलू पुत्री आनन्दीलाल जाति कुशवाह सा0 देह है ।

ख0न0 69 में से 0.01,105 में स 0.01, ,तथा 104 में से 0.01 है0जथा 68 में से0. 01.है0 वाके ग्राम रामपुर भूमि की किश्म खारिज करते हुये राजस्व अभिलेख में उक्त खसरा नम्वरों के प्रभावित क्षेत्र को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हतु प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1597 के नियम 60,ब 66 के तहत वास्ते अग्रिम कार्यवाही करने का निवेदन किया है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीण द्वारा मोका पर्चा पर सहमति प्रदान की है ,तहसीलदार बसेडी के प्रार्थना पत्र,संलग्न नक्शा ट्रेस ,जमावन्दी तथा सुसंगत अधिनियम,नियम व परिपत्रों का अवलोकन व मनन किया गया । तहसीलदार बसेडी के प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित समझते है

उपखण्डाधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज0

अतः आदेश है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3(1) में भू अभिलेख अधिकारी को प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के नियम 59,60,66 एवं 86 के प्रावधान व तहसीदार के प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख में मोके के अनुसार नियमानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाता है तदनुसार नक्शें में लालस्याई से जमावन्दी में रास्ते के रकवे को प्रथक से नवीन खसरा नम्वर दिया जाकर रास्ते के रकवे की किश्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे राजस्व रिकार्ड में खातेदार यथावत रहेंगें । आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बसेडी को तहरीर जारी हो ।

आज दिनांक 08.01.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/1/18

(जयसिंह)

उपखडाधिकारी

बसेडी